

# (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिकार और कर्तव्य मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियम तथा बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार है। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी कंपनी के व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन कंपनी के बहिर्नियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप करते हैं।

अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सभी लागू प्रावधानों और नियमों व विनियमों का पालन करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत 'नालको' एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों के अधिकार और कर्तव्य और इसके व्यवसाय का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी के अंतर्नियम व बहिर्नियम तथा विविध कानून के तहत लागू प्रावधानों द्वारा विनियमित होते हैं।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत होने के नाते, कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार निदेशक मंडल के पास है। निदेशक मंडल ने कुछ मामलों को छोड़कर, जिसके लिए बोर्ड और भारत के राष्ट्रपति या शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक होगी, कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिए बोर्ड में निहित सभी शक्तियों में से किसी एक या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है। तदुपरांत, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा निश्चित सीमा तक कंपनी के अधिकारियों को विभिन्न शक्तियां सौंपी गयी हैं।

नवरत्न शक्तियों के संबंध में लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के व्यवसाय को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है।

कंपनी के दैनिक कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कंपनी के अन्य प्रकार्यात्मक निदेशकों को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं।

निदेशकों की कार्यों तथा दायित्वों का विवरण निम्न है:

# I. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। वे कंपनी के प्रभावी कामकाज तथा इसके मिशन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तरदायी हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी के अंतर्नियम तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निदेशक मंडल ने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को शक्तियां प्रदत्त की है।



उनके दायित्व परस्पर निम्नानुसार हैं:-

- कंपनी की मौजूदा ताकत, विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और उपलब्ध अवसरों के आधार पर व्यवसाय हेतु एक रणनीतिक दृष्टि बनाना
- कंपनी के भीतर बुनियादी प्राथमिकताओं, नैतिक मूल्यों, नीतियों, दृष्टिकोण को स्थापित
  करना, जो पूरे संगठन में रणनीतिक दृष्टि से व्यक्तिगत भागीदारी और प्रतिबद्धता की भावना
  पैदा करे।
- व्यवसायिक रणनीति विकसित करना तथा योजना का क्रियान्वयन करना, जिससे दीर्घावधि
  व्यवसायिक उद्देश्य प्रदर्शित हो।
  - प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण, विकास, प्रतिनिधिमंडल, प्रेरणा, भर्ती और प्रतिस्थापन द्वारा सभी स्तरों पर प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करना।
- कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सहमत योजनाओं और बजट के साथ-साथ कारोबार में हासिल किए गए लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में परिचालन और वित्तीय परिणामों की बारीकी से निगरानी करें और समय पर उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित करना।
- एक मजबूत, दृढ़ विश्वासपूर्ण, स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि, बौद्धिक क्षमता और प्रबंधन अनुभव के साथ निगमित नेतृत्व प्रदान करना।
- कंपनी सचिव के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी दिशानिर्देशों, सेबी (एलओडीआर)
  विनियम, 2015 और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का अनुपालन करना।
- कुशल सतर्कता प्रशासन स्थापित करना।
- सभी निदेशकों के मध्य संयोजन करना।

### II. निदेशक (वाणिज्य)

निदेशक (वाणिज्य) निदेशक मंडल के सदस्य हैं और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वह कंपनी के विपणन और सामग्री कार्यों के समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय और निर्देशन के लिए उत्तरदायी हैं। उनके विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

### (क) विपणन

- कंपनी के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त रणनीतियां, नीतियां और योजनाओं का विकास और क्रियान्वयन करना।
- वैश्विक धातु एक्सचेंजों, व्यापारिक एजेंसियों, उपभोक्ताओं और सरकार के साथ आदान प्रदान करना।



- दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए,समग्र पर्यवेक्षण, समन्वयन और विपणन गतिविधियों को दिशा देना, ताकि बाजार हिस्सेदारी बढ़े और प्राप्ति को अधिकतम किया जाए।
- नए उत्पादों के लिए उत्पाद विविधीकरण और बाजार विकास को बढ़ावा देना।
- उत्पाद मिश्रण आदि के लिए समन्वयन।
- विद्युत का क्रय व विक्रय।
- बाज़ार की सूझबूझ, सूचना तथा ग्राहक संतुष्टि।

#### (ख) सामग्री

- क्रय, भंडारण और माल प्रबंधन और उनके कार्यान्वयन के लिए नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन।
- कंपनी के उत्पादन, परियोजना और संचालन के लिए आवश्यक गैर-सीआईएल लिंकेज कोयला, पुर्जों, घटकों और उपभोग्य सामग्रियों सहित उपकरण, कच्चे माल और ईंधन की खरीद।
- कोयला और अन्य सामग्रियों के आवक, जावक और आंतरिक स्थानान्तरण के लिए विभिन्न संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण और निगरानी करना।
- प्रतिस्पर्धी दरों पर समयानुसार बीमा कवरेज सुनिश्चित करना तथा कर्मचारियों और जीवन बीमा से संबंधित बीमा को छोड़कर बीमा दावों का त्वरित निपटान करना।
- विशाखापत्तनम स्थित पत्तन सुविधाओं के कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करना और पत्तन सुविधाओं के 'पदाधिकारी' के रूप में प्रावधानों का अनुपालन करना।
- उच्च क्षमतायुक्त वाणिज्यिक पेशेवरों की टीम का नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करना।

### III. निदेशक (वित्त)

निदेशक (वित्त) निदेशक मंडल के सदस्य हैं और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वित्त एवं योजना के प्रकार्यात्मक निदेशक प्रभारी होने के नाते, वे कम्पनी के वित्त, लेखा एवं योजनागत कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं।

उनके दायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं: -

 कंपनी में विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन करना, जिसमें नई परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लागत में कमी, राजस्व अधिकतमकरण, बजटीय नियंत्रण, योजना और निगरानी व्यय शामिल हैं।



- क्रय आदेश देने, अनुबंधों / निविदाओं का कार्यान्वयन और संचालन से संबंधित मामलों सहित सभी प्रस्तावों की वित्तीय जांच करना।
- स्टॉक सत्यापन, वित्तीय स्वामित्व और खातों का उचित रखरखाव तथा सामग्री एवं सेवाओं की प्रभावी खरीद करना।
- अनुबंधों पर बातचीत (मोलभाव) करने में सहायता करने के अलावा विदेशी मुद्रा और मूल्य रुझानों पर नजर रखना।
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना।
- कंपनी में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए विभिन्न प्रणालियों को विकसित करना।
- वित्त विभाग और सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम हेतु प्रासंगिक विभिन्न कर कानूनों, कंपनी अधिनियम, सेबी के दिशानिर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, लिस्टिंग समझौते आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- कंपनी का व्यावसायिक विकास और निगम योजना की गतिविधियाँ। डीपीआर अनुमोदन तक सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं।
- कम्पनी का समग्र जोखिम प्रबंधन।
- आंतिरक लेखापरीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण तथा जाँच व्यवस्था की स्थापना तथा उनका क्रियान्वयन करना।
- वाह्य लेखापरीक्षा तथा सरकारी लेखापरीक्षा
- उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, प्रवेश कर, जीएसटी और अन्य करों से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

# IV. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) निदेशक मंडल के सदस्य हैं तथा वे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे समस्त परियोजना क्रियाकलापों के प्रभारी हैं तथा उनके उत्तरदायित्व हैं -

- व्यावसायिक विकास विभाग के साथ समन्वय में सभी नई परियोजनाओं, विस्तार योजनाओं संबंधी तकनीकी और अभियांत्रिक पहलू, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और योजना बनाना।
- ₹ 5 करोड़ से अधिक मूल्य की एएमआर परियोजनाओं को छोड़कर निर्धारित अनुसूची और लागत के भीतर सभी स्वीकृत / अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- प्रोजेक्ट फ्लो शीट, लेआउट, ऊर्जा संतुलन और परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के तकनीकी
  पहलुओं के मामलों में सभी सलाहकारों के साथ तकनीकी और अभियांत्रिकीय समन्वयन।



- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सभी सलाहकारों / विभागों / एजेंसियों के साथ समन्वय।
- आवश्यकतानुसार मौजूदा संयंत्र में मुख्य संशोधनों और परिवर्तन के साथ जुड़ी तकनीकी समस्याएं।
- नई और कुशल प्रौद्योगिकियों और अन्य लागत बचत उपकरणों का परिचय।
- सभी प्रकार की प्रोद्योगिकी, कम्पनी के विविध एककों के संतोषजनक प्रदर्शन हेतु आवश्यक तकनीकी एवं अभियांत्रिकी सेवाएं
- देश में एल्यूमिना/ एल्यूमिनियम के प्रयोग तथा विकास में कार्यरत उपयुक्त तकनीकी संस्थाओं में भागीदारी।
- प्रतिस्थापन सेल का आयात
- अनुषंगी उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता
- अन्य अनुसधान संस्थान तथा प्रयोगशालाओं के समन्वय के साथअनुसंधान तथा विकास कार्यों का निष्पादन। (प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशाला की दैनिक आवश्यकताएं एकक प्रमुखों के नियंत्रणाधीन होंगी।)
- कंपनी में उद्यमी संसाधन योजना सिहत ईलेक्ट्रानिक/सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम की कार्यान्वयन तथा विकास।

#### V. निदेशक (मानव संसाधन)

निदेशक (मानव संसाधन) निदेशक मंडल के सदस्य हैं तथा वे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं।

उनके उत्तरदायित्व में निम्न भी शामिल हैं :

## (क) कार्मिक मामले

- भर्ती, स्थापना तथा प्रशिक्षण
- कंपनी के कार्मिक नीतियों का सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन
- कंपनी में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों और कुशल कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।
- विभिन्न औद्योगिक और श्रम कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- कार्मिक कार्यों में उच्च स्तर की दक्षता हासिल करने के लिए आवश्यक औद्योगिक अभियांत्रिकी।

### (ख) सामान्य प्रशासनिक मामले

- सभी एककों तथा कार्यालयों में सामान्य प्रशासनिक कार्य
- विधिक मामले
- परिवहन



- चिकित्सा
- प्रदर्शनी
- विद्यालय सुविधा
- भूमि अधिग्रहण
- सम्पत्ति विभाग
- क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप
- कंपनी की सम्पत्ति, कर्मचारियों तथा स्थापनाओं की सुरक्षा योजना तथा कार्यान्वयन
- हिंदी / राजभाषा प्रकोष्ठ
- राज्य प्राधिकारियों के संयोजन के साथ कानून व्यवस्था
- नागरिक सुविधाएं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कल्याणकारी कार्य / सुविधाएं
- बागवानी तथा वानिकी
- अतिथि गृह
- समुचित मीडिया प्रबंधन तथा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों से कंपनी की निगमित छवि को बनाए रखना तथा विकास करना।
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में समुचित परिधीय विकास कार्यों को सुनिश्चत करना

## VI. निदेशक (उत्पादन)

निदेशक (उत्पादन) निदेशक मंडल के सदस्य हैं तथा वे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे विभिन्न एककों यथा – खनन, एल्यूमिना परिशोधन, विद्युत संयंत्र तथा एल्यूमिनियम प्रद्रावक में सभी उत्पादन गतिविधियों हेतु उत्तरदायी हैं।

इनके उत्तरदायित्वों में निम्न भी शामिल हैं:-

- उत्पादन तथा सेवाओं से संबंधित समस्त प्रौद्योगिकी विषय
- निर्धारित क्षमता पर संयंत्र का परिचालन तथा अनुरक्षण सिंहत लगाई गई सामग्री तथा जनशक्ति, गुणवत्ता एवं लागत का नियंत्रण
- विपणन तथा वित्त विभाग के परामर्श से उचित मिश्र उत्पाद को शामिल करना।
- अपशिष्ट निपटान
- उत्पादन से संबंधित समस्त वाह्य एजेंसियों से समन्वयन



- ईधन आपूर्ति समझौते के अनुसार लिकेंज कोयला की नियमित व उचित आपूर्ति हेतु महानदी कोलफील्डस लिमिटेड से समन्वयन
- कोल लिंकेज बढ़ाने तथा ईधन आपूर्ति समझौता हस्ताक्षरित करने हेतु सरकार से समन्वयन
- नई तथा कुशल प्रणाली एवं अन्य लागत बचत करने वाले यंत्रों को शामिल करना
- सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण सें संबंधित प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- परिशोधक, प्रद्रावक तथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संबंध में कारखाना अधिनियम के तहत
  'अभिग्राही' के रूप में तथा खान अधिनियम के तहत 'स्वामी' के रूप में सभी विषय